

भारत सरकार
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 182
दिनांक 18 नवम्बर, 2019

पीएमयूवाई के लाभार्थी

182. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:
श्री राजेन्द्र अग्रवाल:
श्री फरोज़ वरुण गांधी:
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':
श्री उत्तम कुमार रेड्डी:
श्री कौशलेन्द्र कुमार:
डॉ. अमोल राम सिंह कोल्हे:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
श्री कुलदीप राय शर्मा:
डॉ. सुभाष रामराव भामरे:
श्री ए.के.पी. चनराज:

क्या पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

- (क) क्या ग्रामीण भारत में उज्ज्वला योजना के 85 प्रतिशत लाभार्थी अभी भी ठोस ईंधन का उपयोग करते हैं, जैसा क हा लया रिपोर्टों द्वारा बताया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या एलपीजी की उच्च लागत के कारण पीएमयूवाई के कई लाभार्थी अपने कनेक्शन को नियमत रूप से (रि फल) नहीं कर पा रहे हैं और यदि हां, तो क्या सरकार बीपीएल परिवारों के लए इसे और अधिक सुलभ बनाने के लए रसोई गैस की कीमत कम करने का इरादा रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक पुनर्भरण (रि फल) के लए वर्तमान में लाभार्थियों द्वारा वहन की जाने वाली लागत क्या है और क्या सरकार ने उन जिलों की पहचान की है जहां औसत रि फल दर दो वर्ष से कम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा की गई सुधारात्मक कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;
- (ग) गत तीन वर्षों में उज्ज्वला योजना के तहत प्रति परिवार रि फल की संख्या का ब्यौरा क्या है और पीएमयूवाई के तहत एलपीजी सलंडर के रि फल का औसत राष्ट्रीय औसत की तुलना में कतना है और एलपीजी कनेक्शन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और देश में उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन की संख्या के साथ-साथ नियमत रूप से सक्रय एलपीजी कनेक्शन की संख्या कतनी है;

- (घ) क्या सरकार ने पहल (पीएचएएल) योजना के कार्यान्वयन के पश्चात् कसी एक नाम पर दोहरे/फर्जी/गैर-मौजूद/निष्क्रिय एलपीजी कनेक्शन की पहचान की है और यदि हां, तो पहल योजना से पहले की तुलना में कनेक्शन की राज्य-वार संख्या कतनी है और ऐसे नकली लाभार्थियों के उन्मूलन के कारण बचाई गई धनराश का ब्यौरा क्या है;
- (ङ) सरकार द्वारा वर्तमान में दिए गए घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सब्सिडी की राश का गत दस वर्षों की तुलना में ब्यौरा क्या है तथा देश में राजसहायता प्राप्त और गैर-राजसहायता प्राप्त गैस कनेक्शनों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
- (च) सरकार द्वारा 2015 में शुरू किए गए "गव इट अप" अभियान के परिणामस्वरूप उन परिवारों की संख्या का ब्यौरा क्या जिन्होंने अपना कनेक्शन लौटा दिया तथा क्या सरकार पीएमयूवाई के तहत वर्ष के अंत से पहले सभी परिवारों को एलपीजी गैस या रसोई गैस की पहुंच उपलब्ध कराने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और क्या सरकार ने उस उद्देश्य को प्राप्त किया है जिसके लिए पीएमयूवाई का शुभारंभ किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री

(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क) और (ख): जी नहीं। आज की तारीख में, लगभग 87% पीएमयूवाई लाभार्थियों ने कम से कम दूसरी रीफल प्राप्त की है। तेल वपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने पीएमयूवाई लाभार्थियों के संबंध में कम खपत वाले जिलों की पहचान की है। कम खपत वाले जिलों में रीफल खपत में सुधार करने के उद्देश्य से, तेल वपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने ग्राहकों के साथ लगातार संपर्क बनाया है ताक वे एलपीजी अपनाएं और सतत आधार पर उसका उपयोग करें। इस योजना को और अधिक वहनीय बनाने के लिए, पीएमयूवाई ग्राहकों को 5 क.ग्रा. सलंडर के साथ एलपीजी कनेक्शन लेने का विकल्प दिया गया है। इसके अलावा, ओएमसीज ने पीएमयूवाई लाभार्थियों को यह विकल्प भी दिया है कि वे अपने 14.2 क.ग्रा. के सलंडरों को 5 क.ग्रा. सलंडरों से बदल सकते हैं। दिनांक 01.11.2019 की स्थिति के अनुसार, दिल्ली बाजार में, 14.2 क.ग्रा. सलंडर का घरेलू एलपीजी मूल्य 681.50 रुपए है और राजसहायता के बाद पीएमयूवाई ग्राहक के लिए प्रभावी लागत 525.60 रुपए प्रति सलंडर है।

(ग): राष्ट्रीय औसत एलपीजी खपत 6.25 सलंडर (14.2 क.ग्रा.) प्रति वर्ष है, जबकि पीएमयूवाई उपभोक्ता की वार्षिक एलपीजी खपत 2.76 सलंडर (14.2 क.ग्रा.) की है। पीएमयूवाई कनेक्शनों की तुलना में कुल एलपीजी कनेक्शनों का राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार ब्यौरा अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

(घ): निष्क्रिय/डुप्लीकेट/जाली/गैर मौजूदगी के कारण बंद कए गए एलपीजी कनेक्शनों का राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार ब्यौरा अनुलग्नक - II में दिया गया है। जून, 2019 तक ब्लॉक कए उपभोक्ताओं/ गैर-राजसहायता प्राप्त घरेलू उपभोक्ताओं के कनेक्शनों से होने वाली अनुमानित बचत 63,664 करोड़ रुपए है।

(ड.): वर्तमान में, क्रमशः 25.78 करोड़ और 1.67 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता राजसहायता प्राप्त तथा गैर-राज सहायता प्राप्त सलंडर ले रहे हैं। पछले दस वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर राजसहायता/अल्प-वसूली राश का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

ब्यौरा	घरेलू एलपीजी पर कुल राजसहायता/अल्प-वसूली (करोड़ रुपए में)
2009-10	16,087
2010-11	23,763
2011-12	32,152
2012-13	41,565
2013-14	52,290
2014-15	40,569
2015-16	22,029
2016-17	18,337
2017-18	23,464
2018-19	37,220
2019-20 (सतंबर, 2019 तक)	12,600

(च): दिनांक 11.11.2019 की स्थिति के अनुसार, एक करोड़ से अधिक एलपीजी उपभोक्ताओं ने “गव इट अप” अभियान के तहत अपनी राजसहायता छोड़ दी है। पीएमयूवाई के तहत सरकार का लक्ष्य 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने का था जिसे पहले ही हासिल कर लिया गया है।

		अनुलग्नक-1
पीएमयूवाई के लाभा र्थियों के संबंध में श्री सूनील दत्तात्रेय तटकरे और अन्य द्वारा दिनांक 18.11.2019 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 182 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक		
राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	कुल एलपीजी उपभोक्ता	पीएमयूवाई उपभोक्ताओं
चंडीगढ़	275875	88
दिल्ली	4861826	76904
हरियाणा	6731527	731222
हिमाचल प्रदेश	1825405	136092
जम्मू और कश्मीर	3154279	1232624
पंजाब	8365306	1224800
राजस्थान	16092755	6391887
उत्तर प्रदेश	39608333	14782515
उत्तराखंड	2583171	404749
अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	107101	13155
अरुणाचल प्रदेश	259205	44698
असम	7029230	3493514
बिहार	17325775	8568418
झारखंड	5580576	3291256
मणिपुर	539943	156599
मेघालय	314088	150735
मजोरम	293998	28123
नगालैंड	258493	55147
ओडिशा	8509322	4748983
सत्त्विकम	140838	8752
त्रिपुरा	730963	272133
पश्चिम बंगाल	21807612	8873588
छत्तीसगढ़	5145256	2998613
दादरा और नगर हवेली	88164	14628
दमन और दीव	61314	427
गोवा	487619	1082
गुजरात	10371353	2907701
मध्य प्रदेश	14830583	7178796
महाराष्ट्र	27142633	4436535
आंध्र प्रदेश	13465372	390952
कर्नाटक	15749694	3150196
केरल	8692507	256408
लक्षद्वीप	7981	292
पुडुचेरी	370292	13581
तमिलनाडु	20873136	3242953
तेलंगाना	10735477	1074979
योग	274417002	80353125

अनुलग्नक-II

पीएमयूवाई के लाभार्थियों के संबंध में श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे और अन्य द्वारा दिनांक 18.11.2019 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 182 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक		
राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	01.10.19 की स्थिति के अनुसार डुप्लीकेट/खाली/गैर-मौजूद/निष्क्रिय एलपीजी कनेक्शन	
अंडमान व नोकोबार		0.00
आंध्र प्रदेश		0.34
अरुणाचल प्रदेश		0.01
असम		0.14
बिहार		0.15
चंडीगढ़		0.02
छत्तीसगढ़		0.06
दादरा और नगर हवेली		0.00
दमन और दीव		0.00
दिल्ली		0.20
गोवा		0.01
गुजरात		0.23
हरियाणा		0.13
हिमाचल प्रदेश		0.07
जम्मू और कश्मीर		0.08
झारखंड		0.06
कर्नाटक		0.19
केरल		0.13
लक्षद्वीप		0.00
मध्य प्रदेश		0.22
महाराष्ट्र		0.45
मणिपुर		0.01
मेघालय		0.01
मजोरम		0.01
नगालैंड		0.01
ओडिशा		0.09
पडुचेरी		0.01
पंजाब		0.22
राजस्थान		0.16
सिक्किम		0.01
तमिलनाडु		0.28
तेलंगाना		0.25
त्रिपुरा		0.01
उत्तर प्रदेश		0.69
उत्तराखंड		0.09
पश्चिम बंगाल		0.20
योग		4.54